न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (I.A.S)
इंतकाल अपील : 166/2023
तारीख रजू : 20.09.2023 निर्णय दिनांक : 13.05.2025

उनवान

1. यशवन्तदेव उर्फ जसवन्त चेला स्व0 श्री हरिदास जाति बैरागी निवासी बनखण्डी आश्रम जोनायचां खुर्द तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज.।
2. इन्द्रदेव चेला स्व0 श्री हरिदास जाति बैरागी निवासी बनखण्डी आश्रम जोनायचां खुर्द तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज.।

.......अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामदेव चेला स्व0 श्री हरिरदास जाति बैरागी निवासी बनखण्डी आश्रम जोनायचां खुर्द तहसील नीमराना
   जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज.।
2. तहसीलदार बहरोड तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज.।

.......रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार बहरोड़ इन्तकाल संख्या 100 दिनांकित 09.05.2000

उपस्थित :

1. श्री सुधीर शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री महावीर गुर्जर अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट की ओर से।

।। निर्णय ।।

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बहरोड़ के आदेश दिनांक 09.05.2000 जिसके द्वारा इन्तकाल संख्या 370 वाके ग्राम जोनायचां खुर्द तहसील बहरोड़ हाल तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया।

वकील अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है :–

अपीलाण्टान को दिनांक 18.05.2014 को यह जानकारी हुई कि रेसपोडेण्ट संख्या 01 द्वारा अपने नाम से महाराज हरिदास जी की विरासत का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करा लिया है। जिस पर गांव में पंचायत हुई तो उन्होंने यह व्यक्त किया कि कानूनी कार्यवाही के द्वारा इन्तकाल को निरस्त कराया जावे। जिस पर वकील से सलाह मशवरा कर नकलें प्राप्त की इस प्रकार दिनाक 18.05.2014 जानकारी की तिथी से आज प्रार्थन पत्र दफा 5 मयाद अधिनियम के साथ अपील प्रस्तुत की है। अपील में वर्णित आश्रम ग्राम जोनायचा खुर्द में स्थित है, जिसमें ठाकुरजी महाराज विराजमान हैं। आश्रम के अधीनस्थ ग्राम जोनायचा खुर्द, सासेडी तथा सिरियानी में कृषि भूमि स्थित है। जिसकी आय से ठाकुर जी महाराज की सेवा होती है और आश्रम संचालित किया जाता है। जिस आश्रम में पूर्व में श्री सुन्दरदास जी महाराज गद्दी पर विराजमान थे। तत्पश्चात उनके चेले हरिदास जी पदासीन हुये, हरिदास जी के जीवनकाल में महाराज हरिदास जी ने तीन चेले बनाये, जिसमें रामदेवजी, यशवन्त देव उर्फ जसवन्त एवं इन्द्रदेव हैं जो तीनों चेले महाराज श्री हरिदास जी की सेवा टहल किया करते थे और आश्रम के तहत दी गई कृषि भूमि की देखभाल किया करते थे, तथा इस तथ्य से समस्त आस–पास के ग्रामवासियान वाकिफ थे और वाकिफ हैं। हरिदासजी महाराज द्वारा जो भी आश्रम में तीर्थ करने आते थे उनको उन्होंने जाहिर किया है कि मेरे मरणोपरान्त मेरे तीनों सेवक जो चेले के रूप में कार्य कर रहे हैं वो आश्रम के तहत चल/अचल सम्पत्ति के तीनों बहिस्से बराबर–बराबर मालिक काबिज होंगें तथा बडा चेला रामदेव होने के नाते उन्हें महन्त का दर्जा दिया जायेगा। किन्तु उनका चल/अचल सम्पत्ति में तन्हा हिस्सा नहीं होगा। हरिदास जी ब्रहम्मलीन होने के पश्चात सभी गांव के आस–पास के व्यक्ति भी मौजूद थे तब भी महाराज हरिदास जी की भावनानुरूप यह व्यक्त किया गया और सभी जनमानस की यह भावना थी कि अपीलाण्टान एवं रामदेव तीनों ही उक्त आश्रम के तहत चल/अचल के बहिस्से बराबर–बराबर मालिक काबिज होंगे और महन्त का रामदेव का होगा तथा चल/अचल सम्पत्ति रामदेव की तन्हा नहीं होगी। महन्त रामदेवजी बडा होने के कारण अपीलाण्टान का उन पर पूर्ण विश्वास था। इसलिये उनके कहे मुताबिक और आश्वासन के मुताबिक

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड

उन्होंने यह व्यक्त किया गया महाराज हरिदास जी के नाम जो कृषि भूमि है उसमें तीनों का नाम बहिस्से बराबर–बराबर दर्ज करा दिया गया है। जिस पर अपीलाण्टान द्वारा विश्वास किया। किन्तु अपीलाण्टान को दिनांक 18.05.2014 को यह जानकारी हुई कि रेस्पोडेण्ट सख्या 1 द्वारा अपने नाम से महाराज हरिदास जी की विरासत का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करा लिया है। जिस पर गांव में पंचायत हुई तो उन्होंने यह व्यक्त किया कि कानूनी कार्यवाही के द्वारा इन्तकाल को निरस्त कराना है। आलोच्य आदेश मृतक हरिदास की भावनाओं के विपरीत तथा जनमानस के हितों के विपरीत मृतक हरिदास की घोषणा के विरूद्ध एकपक्षीय होने के आधार पर निरस्त होने योग्य है। आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार बहरोड द्वारा कब्जे के संबंध में कोई जांच पडताल नहीं की, ना ही अपीलाण्टान को सुनवाई का कोई अवसर प्रदत्त किया गया। इस आधार पर भी आलोच्य आदेश काबिज खारिज है। पटवारी हल्का और तहसीलदार को यह बखूबी जानकारी थी कि विवादित आराजी के संबंध में सक्षम न्यायालय में काफी अरसा पूर्व से ही नियमित वाद लंबित है तथा स्थगन आदेश भी जारी है। ऐसी सूरत में आलोच्य आदेश कानून के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्टस् का आज भी विवादित आराजी पर कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को तन्हा अपने नाम विरासत इन्तकाल दर्ज वो स्वीकृत कराने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, तथा रेस्पोडेण्ट सख्या 1 को बखूबी यह जानकारी थी कि अपीलाण्टान का भी विवादित आराजी में हक निहित है। ऐसी सूरत में आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में उल्लेखित तथ्य को जाहिर करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जाने हेतु निवेदन किया। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हरिदासजी महाराज जी के राशन कार्ड में अपीलान्ट् संख्या 01, 02 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का नाम दर्ज है तथा वोटर आई डी कार्ड व अन्य दस्तावेजात में भी अपीलान्ट के पिता की जगह हरिदास जी महाराज का ही नाम अंकित है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जौनायचा कलां नीमराना द्वारा जारी स्थानान्तरण प्रमाण पत्र में भी अपीलान्ट संख्या 02 के पिता के नाम के स्थान पर हरिदास महाराज जी का नाम अंकित है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पगडी रस्म एक ही वारिस के होती है लेकिन साधु के पगड़ी रस्म होने पर सभी शिष्य बराबर के हकदार होते है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 135(1) के तहत निर्णय कर नामांतकरण दर्ज किया है, जो गलत है। तहत न्यायालय के द्वारा धारा 135(2) के तहत वारिसानों को विधिवत् नोटिस देकर कर सुनवाई करते हुए नामांतकरण दर्ज करना चाहिए था। हरिदास महाराज जी की इच्छा के अनुरूप व जनभावना के अनुरूप हरिदास महाराज जी की मृत्यु के पश्चात उनकी खातेदारी भूमि में तीनों चेलों के नाम नामांतकरण खुलना चाहिए था। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमायी जाकर आज्ञा दिनांक 09.05.2000 तहसीलदार बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान इंतकाल सं. 370 वाके ग्राम जोनायचाखुर्द तहसील बहरोड़ हाल तहसील नीमराना विरासत हरिदास महाराज निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट के हक में इन्तकाल नियमानुसार विधि पूर्ण तरीके से करीब 14 वर्ष पूर्व दर्ज किया गया है। अपील अपीलान्ट मियाद बाहर पेश कि गई है। रेस्पोडेन्ट के हक में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 09.05.2000 तहसीलदार बहरोड द्वारा विधि पूर्ण तरीके से पारित किया गया है। इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व पटवारी हल्का व आईएलआर की रिपोर्ट ली गई है जिन्होने रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्ज किया है कि मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत व रस्म चददर के आधार पर इन्तकाल दर्ज किया जाना कानूनन अपेक्षित है। वनखण्डी आश्रम जो जोनायचा खुर्द में स्थित है। आश्रम के अधिनस्थ ग्राम जोनायचा खुर्द, सारोडी तथा सिरयानी ग्रामो की कृषि भूमि स्थित है। जिसकी आय से आश्रम संचालित किया जाता है। वनखण्डी आश्रम जोनायचा खुर्द, तहसील बहरोड, पर गद्दी नसीन गुरुओ की महन्तता रही है। जो गुरू सदैव से ठाकुरजी महाराज की सेवा पूजा, सुश्रुवा, झाडू, धूप, पूजा पाठ, भोग, नित्यक्रम, भोजन प्रसादी, रहने सहने उठने बैठने के प्रति कृतज्ञ रहे है। जो गुरूओ की सेवाओ व वचनो से प्रसन्न होकर ग्राम सिरयानी, सासेडी व जोनायचा खुर्द के बुजुर्गों एवं महाराज चन्द्रभान जी रियासत नीमराणा ने रेस्पोडेन्ट के दादा पड़दादा गुरूवो को विवादित आराजी व अन्य आराजीयात

जिला कलक्टर
कोटपूतली—बहरोड़

दी थी। माफी जप्त होने के पश्चात यह भूमि रेस्पोडेन्ट के गुरू महन्त हरिदास व उनके गुरू महन्त सुन्दरदास की खातेदारी में आ गई। जैसा कि समस्त साबिक राजस्व रेकार्ड से उक्त तथ्य भली भांती साबित है। आराजी पर लगान कायम किया गया था जिसे रेस्पोडेन्ट के बुजुर्ग गुरूओ द्वारा नियमानुसार अदा किया जाता रहा है, जो रजिस्टर ग्राम जोनायचा खुर्द तहसील बहरोड जिला अलवर से साबित है। यह कि स्वर्गीय महन्त हरीदासजी के एक मात्र वारिस रेस्पोडेन्ट महन्त रामदेव है जिन्हें मुताबिक रस्म चद्दर दिनाक 15.12.1999 वारिस बनाया गया था। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट के हक में स्वर्गीय महन्त हरीदास द्वारा एक रजिस्टर्ड हिबेनामा दिनांक 11.05.1972 बाबत आराजी वाके ग्राम सिरयानी निष्पादित किया गया था, जिसमे यह तथ्य दर्ज है कि मेरे मरने के बाद महन्त रामदेव ही मेरे अकेले वारिस है। संत समाज में जिसको गद्दी सम्भलाई जाती है उसी के नाम नामांतकरण खुलता है पहले भी इसी तरह से नामांतकरण खुला है। उक्त प्रकरण में हरिदास महाराज जी के ब्रह्मलीन होने के बाद चद्दर रस्म के बाद रेस्पोडेन्ट के नाम नामांतकरण दर्ज हुआ है जो सही है, जिसके छायाचित्र भी शामिल पत्रावली है। पूर्व से संत समाज में यह परम्परा रही है की जिसकी चद्दर रस्म होती है उसी के नाम नामांतकरण खुलता है। सभी शिष्यों के नाम नामांतकरण दर्ज नहीं होता है। साधु–संतों पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागु नहीं होता है। विवाद होने कि स्थिति में वारिसों का नामांतकरण खुलवाने के लिए तहत न्यायालय में धारा 135(2) एलआरएक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है, चूंकि विवाद नहीं था इसलिए तहत न्यायालय में धारा 135(2) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। मरने से पूर्व हरिदास महाराज जी द्वारा स्टाम्प पेपर पर यह लिखा है कि मेरे मरने के बाद रामदेव ही मेरा वारिस होगा। इसलिए दर्ज किया गया इंतकाल कानूनन निरस्त किये जाने योग्य नही है। इस स्थिति में अपीलान्ट द्वारा दायर अपील श्रवण योग्य नही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावें।

हमने वकुलाय की बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया। सर्वप्रथम अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर विद्वान अधिवक्ता की बहस पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नर्मी का रूख अपनाते हुए विलम्ब की अवधि का माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाकर अन्दर मियाद शुमार की जाती है। स्वर्गीय महन्त हरीदासजी द्वारा रेस्पो0 संख्या 01 पक्ष में किया गया हिब्बानामा दिनांक 11.05.1972, महन्त हरीदासजी की मृत्यु के पश्चात दिनांक 15.12.1999 को की गई चद्दर रस्म एवं चद्दर रस्म के वक्त उपस्थित व्यक्तियों के हलफनामों से यह प्रतित होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 रामदेव जाति बैरागी निवासी बनखण्डी आश्रम जोनायचां खुर्द तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ के नाम दर्ज नामान्तरण संख्या 370 वाके ग्राम जोनायचाखुर्द सही है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा महन्त हरीदासजी को विरासत में मिली संपत्ति को रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के हक में इंतकाल संख्या 370 दिनांक 09.05.2000 नामांतकरण तहसीलदार बहरोड़ द्वारा सही तरदीक किया गया है। इस प्रकार तहत न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधिवत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अपीलान्ट के द्वारा वर्णित तथ्य उक्त प्रकरण में चस्पा नहीं होते है जबकि वकील रेस्पोडेण्ट की बहस प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होती है। इस प्रकार अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय पत्रावली में संलग्न किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़